न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1163–दो/2006 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 47–अ21/2004–05 पुन.

श्रीमती रामरती कोल पत्नि रामसिया कोल
ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक
विरूद्ध
म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आदेश

(आज दिनांक 14 -09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 47 अ–21/2004–05 पुन. में पारित आदेश दिनांक 18–5–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन देकर आवेदक ने ग्राम रतहरा की भूमि सर्वे क्रमांक 470, 471,472,474,276 कुल रकबा 0.684 है. के विक्रय की अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 5 अ–21/2004–05 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 04 अप्रैल 05 पारित करके कुछ शर्तो के साथ विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी। कलेक्टर के ध्यान में यह तथ्य आया कि विक्रय की शर्तो का आवेदक ने उल्लंघन किया है तथा भूमि शासकीय होना परिलक्षित हुआ। फलस्वरूप कलेक्टर

रीवा ने पुनरावलोकन अनुमति के प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को प्रेषित किये, जिस पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 47 अ-21/2004-05 पुन. में पारित आदेश दिनांक 18-5-2006 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तत्कालीन कलेक्टर ने पूरी जांच करने के वाद आवेदक के स्वत्व व कब्जे की भूमियों को बिक्रय करने की अनुमति प्रदान की थी किन्तु आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि को बिना प्रमाण के शासकीय होना मानकर कलेक्टर रीवा ने पुनरावलोकन अनुमति के प्रस्ताव भेजने में त्रृटि की है। कलेक्टर के आदेश दिनांक 4-4-05 में लगाई गई किसी भी शर्त का आवेदक ने उल्लंघन नहीं किया है फिर यह कैसे मान लिया गया कि शर्तो का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 47 अ-21/2004-05 पुन. में पारित आदेश दिनांक 18-5-2006 को निरस्त करने एंव निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 4 अप्रेल 2005 में शर्त लगाई थी विक्रय पत्र तभी संपादित किया जावेगा जबकि 15,19,000/- प्रति हैक्टर के हिसाब से अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष क्रेता द्वारा विक्रेता को विक्रधन अदा किया जावेगा। दूसरी शर्त यह थी कि विक्रय धन में से 9,00,000/- की राशि आवेदक एंव कलेक्टर रीवा के ज्यावंट खाते में जमा की जायेगी और जब आवेदक अन्य कृषि भूमि अजीविका चलाने के लिये खरीदेगी तब जरिये चेक विक्रय धन का भुगतान होगा। उप पंजीयक आवेदक एंव कलेक्टर रीवा का ज्वांइट खाता खुलवायेंगे तब भूमि का विक्रय पत्र संपादित होगा। परन्तु आवेदक ने संपूर्ण विक्रय धन पहले प्राप्त करके शर्तो का उल्लंघन किया है इसलिये पुनरावलोकन लाजमी हुआ है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 47 अ-21/2004-05 पुन. में पारित आदेश दिनांक 18-5-2006 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि इस आदेश से आयुक्त रीवा संभाग ने पुनरावलोकन अनुमति इसलिये प्रदान की है कि कलेक्टर

रीवा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त आदेश में लगाई गई शर्तो का उल्लंघन किया गया है। भूमि शासकीय होने का भी अंदेशा होना उल्लेखित है । प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार पुर्नजॉच होना आवश्यक समझकर कलेक्टर रीवा ने पुनरावलोकन अनुमति मांगी है जिस पर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा अनुमति प्रदान की गई है। पुनरावलोकन अनुमति के वाद कलेक्टर रीवा व्दारा आवेदक की सुनवाई की जावेगी, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने एंव साक्ष्य प्रस्तुत कराने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 47 अ-21/2004-05 पुन. में पारित आदेश दिनांक 18-5-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर